

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

मुख्य अभियंता,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
सीतामढ़ी।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सीतामढ़ी।

विषय:— ई-टेंडरिंग पद्धति द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं०-01/2018-19 के गुप सं०-01 के कार्य नगर परिषद, सीतामढ़ी क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड नं०-26 में मेहसौल रेलवे गुमटी से पटेल मशीनरी तक आर०सी०सी० कॉभर नाला निर्माण कार्य के आवंटन के संबंध में। पटना, दिनांक-25/10/18

प्रसंग:— कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सीतामढ़ी का पत्रांक-400 दिनांक-22.10.2018 एवं इस कार्यालय के पत्रांक-1296 दिनांक-12.10.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि ई-टेंडरिंग पद्धति द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं०-01/2018-19 के गुप सं०-01 के कार्य नगर परिषद, सीतामढ़ी क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड नं०-26 में मेहसौल रेलवे गुमटी से पटेल मशीनरी तक आर०सी०सी० कॉभर नाला निर्माण कार्य हेतु तकनीकी बिड में सफल एकल निविदाकार श्री शशि रंजन कुमार को उक्त कार्य उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि 1,39,54,114/- (एक करोड़ उनतालीस लाख चौवन हजार एक सौ चौदह) रूपये मात्र से 0.15% कम अर्थात् कुल राशि 1,39,33,183/- (एक करोड़ उनतालीस लाख तैंतीस हजार एक सौ तेरासी) रूपये मात्र पर कार्य आवंटित किया जाता है। कार्य आवंटन एवं एकरारनामा के पूर्व सभी कागजात से संतुष्ट होने के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे। कार्यपालक अभियंता, डुडा, सीतामढ़ी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सीतामढ़ी सभी कागजात का सत्यापन कर एवं असाधारण उद्धृत दर के लिए यथोचित Additional Performance Guarantee लेकर एकरारनामा करेंगे।

निम्न निदेशों को पालन करते हुए एकरारनामा करेंगे:—

1. कार्य समाप्ति की अवधि 09 (नौ) माह होगी।
2. कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के अधीन सीमित रखा जाय।
3. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जाँचोपरान्त परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैध स्वरूप प्रयुक्त किया जाय।
4. कार्य का एकरारनामा 07 (सात) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
5. अगर निविदा में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई तो इसकी सूचना निश्चित रूप से दिया जाय एवं निविदा का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निदेश प्राप्त नहीं हो जाय।

6. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृति में दिये गये टीका-टिप्पणी के अनुरूप विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय।
7. कार्य को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत सम्पादित कराना सुनिश्चित कराया जाय। परिमाण विपत्र में अंकित मात्राओं को कार्यस्थल पर पुस्तिका में अंकित कर दिया जाय एवं तदनुसार ही कार्य कराया जाय। इसके लिए संवेदक से कार्य योजना प्राप्त कर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।
8. कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री लेवल अवश्य करा लेंगे, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य की मात्रा कि गणना सही ढंग से की जा सके।
9. प्रारम्भ बिन्दु से निकासी बिन्दु तक नाला का Slope निर्धारित करते हुए निर्माण करायेंगे ताकि जल निकासी सुगमतापूर्वक हो सके।
10. विभिन्न कार्य में लगने वाले लौह छड़ (Reinforcement), Tata/SAIL/RINL Make का होना चाहिए।
11. कार्य के दौरान व्यवहार में आनेवाले सामग्रियों यथा ईट, बालू, चिप्स, मेटल आदि की गुणवत्ता की जाँच व्यवहार में लाने के पूर्व करा लेंगे।
12. PCC/RCC कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould cast के बाद Crushing strength का Test अवश्य करा लेंगे।
13. कार्य स्थल के आरंभिक एवं अंतिम बिन्दु पर योजना संबंधी सूचना पट्ट लगाना आवश्यक हो, जो लोहे के Angle पर PCC से जाम हो।
14. आप से प्राप्त तुलनात्मक विवरणी अग्रतर कार्रवाई हेतु लौटायी जाती है।
कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

अनु०- तुलनात्मक विवरणी एवं सभी निविदा अभिलेख मूल में।

विश्वासभाजन
मुख्य अभियंता,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।